<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
प्रतापराम खिचड़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लोहावट)
सू.अ.अ. अपील संख्या 68 / 2018</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>04.06.18</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रतापराम खिचड़ पुत्र सजुराम पता गांव मूलराज, तहसील लोहावट जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.03.18 में उसके द्वारा (1) ग्राम लोहावट बिश्नावास पटवार हलका विश्नावास ख.नं.823 गौचर भूमि गैर मुमकीन की जमाबंदी नकल मय नक्शा की प्रमाणित प्रति व अन्य 07 बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लोहावट) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लोहावट) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लोहावट) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>

Scanned with CamScanner